(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1432–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–08–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–361/अपील/2005–06

.....

1– मध्यप्रदेश शासन जरिये कलेक्टर रीवा
जिला–रीवा(म0प्र0) प्रशासक लक्ष्मण बाग.
संस्थान रीवा(म0प्र0)

2– कार्यपालन अधिकारी, लक्ष्मणबाग संस्थान रीवा,
तहसील हुजूर, जिला–रीवा(म0प्र0)

——————आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती किरण वर्मा विधवा पत्नी स्व0 रामानन्द

2– श्रीमती शान्ती देवी पति रामानुज

3– श्रीमती सत्यभान वर्मा तनय स्व0 हर प्रसाद
निवासीगण–ग्राम टिकिया, तहसील हुजूर,
जिला–रीवा(म0प्र0)

4– श्री राजराखन वर्मा तनय देवशरण
निवासी–ढेकहा रीवा, तहसील हुजूर
जिला–रीवा(म0प्र0)

5– मु0 जयराना पुत्री स्व0 रामकृष्ण
निवासी–सोनौरा, हाल मुकाम धौचट
तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

————अनावेदकगण

.....

श्रीमती नीना पाण्डेय, शासकीय अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–08–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 5 द्वारा ग्राम टिकिया स्थित विवादित भूमि खसरा क्र0 2 रकबा 0.12 एकड़, खसरा क्र0 3 रकबा 0.30 एकड़, खसरा क्र0 4 रकबा 0.36 एकड़, खसरा क्र0 5 रकबा 4.85 एकड़, एवं खसरा क्र0 6 रकबा 5.14 एकड़, कुल किता 5 कुल रकबा 10.77 एकड़ का नामांतरण किये जाने बावत संहिता की धारा 109–110 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइया में प्रस्तुत किया। जहॉ नायब तहसीलदार ने अनावेदक क्र0 5 के पक्ष में दिनांक 31.12.2003 को वारिसाना नामांतरण के आदेश पारित किये । विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2003 से परिवेदित होकर आवेदक क्र0 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसमें प्रकरण 84/अ–6/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2006 से अनावेदक क्र0 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अपील स्वीकार की । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक–361/अपील/2005–06 में दिनांक 01–08–2006 से अपील स्वीकार की तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2006 निरस्त किया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी स्व0 श्री रामकृष्ण राजस्व अभिलेख में है। रामकृष्ण के मृत्यु के पश्चात् वारिसाना नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार ने अनावेदक क्र0 5 के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया है। आवेदक लक्ष्मणबाग संस्थान द्वारा दानपत्र के आधार

पर प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण मानते हुये, आवेदक संस्थान के पक्ष में दानपत्र के आधार नामांतरण के आदेश दिये है। परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने दानपत्र के संबंध में स्पष्ट सकारण आदेश पारित नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी को आवेदक संस्थान के पक्ष में निष्पादित दानपत्र के रजिस्टर्ड होकर साक्ष्य से सिद्ध होने पर ही नामांतरण के आदेश देना चाहिये थे। इसीलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त ने वारिसान नामांतरण को सही मानते हुये और आवेदक संस्थान के व्यवहार वाद क्रमांक 6ए/2004 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 को आवेदक संस्थान के पक्ष में सुविधा का संतुलन व्यवहार न्यायालय द्वारा नहीं पाते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक संस्थान का अधिकार नहीं माना है। उक्त व्यवहार वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त हुई है किन्तु अभी स्वत्व पर अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार वाद पर निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है। अतः अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। यदि व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के संबंध में निर्णय पारित हो जाता है तो यह राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी हो जाता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी आदेश दिनांक 13.01.06 एवं अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 01.08.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निदेर्श के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् दानपत्र के संबंध में सकारण आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश
ग्वालियर,